माननीय हेमन्त गुप्ता और राजेश बिंदल, जे.जे. के समक्ष

पी. आर. शर्मा और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी.नं. 2007 का 16446

22 अगस्त 2008

भारत का संविधान, 1950-कला. 226–आयकर अधिनियम, 1961–एस.17(2)(ii), स्पष्टीकरण 1–एस.17(2)(ii) के प्रावधानों में संशोधन, पूर्वव्यापी प्रभाव से 'रियायत' शब्द का अर्थ बताने वाला स्पष्टीकरण सम्मिलित करना–चुनौती तत्संबंधी- स्पष्टीकरण के प्रावधान मैं न तो भेदभावपूर्ण हूं और न ही अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता हूं- संशोधन संसद की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है- ऐसा संशोधन किसी न्यायिक निर्णय को अमान्य घोषित नहीं करता है- याचिका खारिज कर दी गई।

निर्धारित,*संशोधित अधिनियम के प्रावधान, धारा 17(2)(ii) में स्पष्टीकरण-I को सम्मिलित करते हुए पूर्वव्यापी प्रभाव से "रियायत" शब्द का अर्थ देते हुए संसद की विधायी क्षमता के अंतर्गत आते हैं।*

ऐसा संशोधन किसी न्यायिक निर्णय को अमान्य घोषित नहीं करता बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बतायी गयी कमी को पूरा करता है। अरुण कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2006) 286 आईटीआर 89 (एससी) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कारणों के लिए, नियम 3 के प्रावधान भेदभावपूर्ण या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं हैं। . हमें इस तर्क में भी कोई दम नहीं दिखता कि स्पष्टीकरण I के प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं और इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

(पैरा 13 *और* 15)

एस.के. याचिकाकर्ता के वकील मुखी।

प्रतिवादियों की ओर से योगेश पुटनी, वकील।

हेमन्त गुप्ता *गुप्ता, जे.*

(1) *भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की ओर से दायर वर्तमान रिट याचिका में चुनौती आयकर अधिनियम की धारा 17(2)(ii) में जोड़े गए स्पष्टीकरण-1 को दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव से है। 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') 1 अप्रैल, 2002 से वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 11 द्वारा सम्मिलित किया गया |*

(2) *अधिनियम की धारा 17(2)(ii), इसके संशोधन से पहले निम्नलिखित प्रभाव में थी: -*

" 17. धारा 15 और 16 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

XX XX XX

(2) अनुलाभ में शामिल हैं,

(i) निर्धारिती को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किराया-मुक्त आवास का मूल्य।

(ii) निर्धारिती को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में किसी भी रियायत का मूल्य।

(3) *उक्त प्रावधान विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती का विषय बन गए, लेकिन* ***अरुण कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*** *(1)के रूप में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ अंतिम रूप प्राप्त हुआ, । आयकर नियम, 1962 के नियम 3 को वर्ष 2001 में संशोधित किया गया था। शहर की जनसंख्या के आधार पर अनुलाभ के मूल्यांकन की पद्धति को प्रतिस्थापित किया गया था। उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया तर्क यह था कि कर का भुगतान करने का दायित्व केवल तभी उत्पन्न होगा जब आवास के संबंध में किराए के मामले में दिखाई गई रियायत अधिनियम के तहत एक अनुलाभ है और प्राधिकारी को आना होगा निष्कर्ष यह है कि धारा 17(2)(ii) आकर्षित होती है। उक्त तर्क पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि अधिनियम की धारा 17(2)(ii), केवल तभी लागू होगी जब आवास के संबंध में रियायत हो। अनुलाभ की परिभाषा प्रकृति में समावेशी है और खंड (i) से (vii) में उल्लिखित कई मामलों को अपने दायरे में लेती है, धारा I7(2)(ii) घोषित करती है कि किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में किसी भी "रियायत" का मूल्य कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया एक "अनुलाभ" होगा। फिर भी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उपलब्ध कराए गए किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में यह एक "रियायत" होनी चाहिए। ऐसा पाए जाने के बाद, न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:-*

"रियायत" शब्द को न तो अधिनियम में और न ही नियमों में परिभाषित किया गया है। कॉन्सिस ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, "रियायत" "एक ऐसी चीज़ है जिसे स्वीकार किया जाता है";

"किसी मांग या प्रचलित मानक की मान्यता में किया गया एक इशारा", "व्यक्ति की एक निश्चित श्रेणी के लिए कीमत में कमी"। यह एक "अनुदान है जो आम तौर पर सरकार द्वारा विशिष्ट विशेषाधिकारों के अनुदान पर लागू होता है, सरकार, निगम या अन्य प्राधिकरण द्वारा दिया गया एक विशेष विशेषाधिकार" (पी.आर. अय्यर, एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, 2005; खंड I; पृष्ठ 944)। यह "किसी मांग या तर्क के अनुसार कुछ मानने या स्वीकार करने का एक कार्य है जो आम तौर पर मांग के दावे या अनुरोध को नियोजित करता है", "एक चीज दी गई", "एक अनुदान" [इंडियन एल्युमुनियम कंपनी लिमिटेड बनाम ठाणे नगर निगम [1992] सप्लिमेंट 1 एससीसी 480] "रियायत" "विशेषाधिकार" का एक रूप है [वी। पेचिमुथु बनाम गोवाम्मल [2001] 7 एससीसी 617]।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 17 (2)(ii) को लागू करने या सेवा में लाने से पहले और नियम 3 के अनुसार रियायत की गणना करने से पहले, शक्ति का प्रयोग करने वाले प्राधिकारी को सकारात्मक निष्कर्ष पर आना होगा कि यह एक रियायत है। हमारे निर्णय में "रियायत", इस प्रकार एक मूलभूत, कार्यात्मक या अधिकार क्षेत्र संबंधी तथ्य है।

XXX XXX XXX

हमारी राय में, श्री साल्वे की दलील अच्छी तरह से स्थापित है और स्वीकार किए जाने योग्य है कि अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (ii) के तहत "रियायत" एक "क्षेत्राधिकार तथ्य" है। यह केवल तब होता है जब किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को प्रदान किए गए किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में "रियायत" होती है, जिससे ऐसी रियायत की गणना कैसे की जा सकती है, इसका तरीका, तरीका या तरीका सामने आता है। दूसरे शब्दों में, रियायत एक "क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य" है; राशि के निर्धारण की विधि "मुद्दे में तथ्य" या

"न्यायनिर्णयनात्मक तथ्य" है। यदि निर्धारिती का तर्क है कि कोई "रियायत" नहीं है, तो प्राधिकारी को उक्त प्रश्न पर निर्णय लेना होगा और निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि क्या "रियायत" है और मामला अधिनियम की धारा I7(2)(ii) के अंतर्गत आता है। . इसके बाद ही प्राधिकरण नियमों के तहत निर्धारिती की देनदारी की गणना करने के लिए आगे बढ़ सकता है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, कानूनी स्थिति के बावजूद कि नियम 3 इन्फ्रा वायर्स है, वैध है और अधिनियम की धारा 17(2)(ii) के तहत मूल अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, यह अभी भी खुला है निर्धारिती का तर्क है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किए गए आवास के मामले में कोई "रियायत" नहीं है और इसलिए यह मामला अधिनियम की धारा 17(2)(ii) के अंतर्गत नहीं आता है।"

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे पाया कि धारा 17(2)(ii) में ऐसा कोई खंड शामिल नहीं है कि एक बार यह स्थापित हो जाए कि कोई कर्मचारी 4 की आबादी वाले शहरों में अपने वेतन का 10% से कम किराया दे रहा है। लाख और 7.5 प्रतिशत, अन्य शहरों में, इसे अधिनियम के अर्थ में "रियायत" माना जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि नियम 3 केवल उन मामलों पर लागू होगा जहां नियोक्ता द्वारा किसी आवास के किराए के मामले में किसी कर्मचारी के पक्ष में "रियायत" दिखाई गई है। यह तर्क कि नियम 3 केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों यानी कंपनियों के कर्मचारियों के बीच भेदभाव पैदा करने वाला है; निगमों और अन्य उपक्रमों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष नहीं मिला। न्यायालय ने उपरोक्त वर्गीकरण को इंटेलिजेंट डिफरेंसिया पर आधारित एक उचित वर्गीकरण पाया। इसे प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ उचित तर्कसंगत संबंध पाया गया और इस प्रकार, यह पाया गया कि इस तरह के प्रावधान को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

(5) वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 11 के आधार पर, "रियायत" शब्द का अर्थ देते हुए एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। इस तरह के स्पष्टीकरण को 1 अप्रैल, 2002 से शामिल किया गया है यानी नियमों के संशोधित नियम 3 के संबंध में अवधि को कवर करने के लिए। वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 11(बी) इस प्रकार है:-

" 11. आयकर की धारा 17 में,
क्सक्सक्स क्सक्सक्स क्सक्सक्स
(बी) खंड (2) में,
(ए) उपखंड (ii) के बाद,
(i) निम्नलिखित स्पष्टीकरण डाले जाएंगे और 1 अप्रैल, 2002 से डाले गए माने जाएंगे, अर्थात्:-
स्पष्टीकरण 1. इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई मानी जाएगी यदि,

(ए) ऐसे मामले में जहां केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अलावा किसी अन्य नियोक्ता द्वारा असज्जित आवास प्रदान किया जाता है, और

(i) आवास नियोक्ता के स्वामित्व में है, 1991 के अनुसार चार लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वेतन के दस प्रतिशत की दर से आवास का मूल्य निर्धारित किया जाता है
जनगणना और अन्य शहरों में वेतन का साढ़े सात प्रतिशत, उस अवधि के संबंध में जिसके दौरान पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उक्त आवास पर कब्जा किया गया था, निर्धारिती से वसूली योग्य या देय किराए से अधिक है;

(ii) आवास नियोक्ता द्वारा पट्टे या किराए पर लिया गया है, आवास का मूल्य नियोक्ता द्वारा भुगतान या देय पट्टा किराये की वास्तविक राशि या वेतन का दस प्रतिशत, जो भी कम हो, अवधि के संबंध में है

जो कि पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा प्राप्त उक्त आवास, निर्धारिती से वसूली योग्य या उसके द्वारा देय किराए से अधिक है;

(बी) ऐसे मामले में जहां केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सुसज्जित आवास प्रदान किया जाता है, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आवास के संबंध में ऐसी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की जाती है। उस अवधि के संबंध में फर्नीचर और फिक्स्चर का मूल्य, जिसके दौरान पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उक्त आवास पर कब्जा किया गया था, निर्धारिती द्वारा वसूली योग्य या देय किराए और फर्नीचर के लिए भुगतान या देय किसी भी शुल्क के कुल से अधिक है और निर्धारिती द्वारा फिक्स्चर;

(सी) ऐसे मामले में जहां केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अलावा किसी नियोक्ता द्वारा सुसज्जित आवास प्रदान किया जाता है, और

(ii) आवास नियोक्ता के स्वामित्व में है, खंड (ए) के उप-खंड (i) के तहत निर्धारित आवास का मूल्य उस अवधि के संबंध में फर्नीचर और फिक्स्चर के मूल्य से बढ़ गया है जिसके दौरान उक्त आवास था पिछले वर्ष के कारण निर्धारिती द्वारा कब्जा कर लिया गया है, निर्धारिती से वसूली योग्य या देय किराए से अधिक है;

(iii) आवास नियोक्ता द्वारा पट्टे या किराए पर लिया गया है, खंड (ए) के उप-खंड (ii) के तहत निर्धारित आवास का मूल्य उस अवधि के संबंध में फर्नीचर और फिक्स्चर के मूल्य से बढ़ा हुआ है जिसके दौरान उक्त आवास पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा कब्जा कर लिया गया था, निर्धारिती से वसूली योग्य या देय किराए से अधिक है;
(डी) ऐसे मामले में जहां नियोक्ता द्वारा किसी होटल में आवास प्रदान किया जाता है (सिवाय जहां निर्धारिती को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके स्थानांतरण पर कुल मिलाकर पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसा आवास प्रदान किया जाता है), आवास का मूल्य पिछले वर्ष के

लिए भुगतान किए गए या देय वेतन के चौबीस प्रतिशत की दर से या ऐसे होटल को भुगतान किए गए या देय वास्तविक शुल्क, जो भी कम हो, उस अवधि के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसके दौरान ऐसा आवास प्रदान किया जाता है, जो कि वसूली योग्य किराए से अधिक है या निर्धारिती द्वारा देय।"

(6) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण को सम्मिलित करते हुए, **अरुण कुमार के मामले** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को शून्य करने की कोशिश की गई है और इसलिए, संशोधन अवैध है। यह भी तर्क दिया गया है कि इस तरह का संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से कर की देनदारी बनाता है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए, इसे प्रभावी नहीं किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने **लोहिया मशीन्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य,** (2) **कार्डिकोप्पल एस्टेट बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य**, (3) **डी. कावसजी एंड कंपनी बनाम पर भरोसा किया है। मैसूर राज्य और अन्य**, (4) **पंजाब राज्य बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड और अन्य**, (5) **के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ**, (6) **वोल्टास इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ,** (7) **एआईआर और राधा कृष्ण पंचिथया बनाम एच. संजीव राव,** (8).

(7) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है, लेकिन हमें वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली है।

(8) अरुण कुमार के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से देखा है कि "रियायत" शब्द को अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क़ानून में एक चूक पाई गई थी, इसलिए पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रश्न में स्पष्टीकरण शामिल करके उक्त चूक को सुधारा गया था। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विधायी शक्ति या तो पहली बार अधिनियमित

करने या अधिनियमित कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित करने की है, न केवल क्षमता के अधीन है, बल्कि कई न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सीमाओं के अधीन भी है। पहला यह है कि संशोधन में पूर्वव्यापी कार्रवाई का प्रावधान या स्पष्ट रूप से संकेत होना चाहिए। संशोधन अधिनियम की विशिष्ट भाषा या धारा 11 को ध्यान में रखते हुए स्पष्टीकरण के पूर्वव्यापी प्रभाव के संबंध में प्रथम परीक्षण संतुष्ट है। एक और परीक्षण यह है कि जहां विधायिका किसी न्यायिक निर्णय पर काबू पाने का इरादा रखती है, वहां निर्णय के आधार को हटाए बिना निर्णय को पलटने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अरुण कुमार के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से पाया है कि "रियायत" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें कोई भी अपमानजनक खंड शामिल नहीं है। उक्त कमी को स्पष्टीकरण-I के सम्मिलन से पूरा किया गया है। स्पष्टीकरण सम्मिलित करना न्यायालय के निर्णय को पलटने के लिए नहीं है, बल्कि न्यायालय द्वारा बताई गई कमी को पूरा करने के लिए है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि संशोधन न्यायिक निर्णय को पलटने के लिए है।

(9) **गुडरिक ग्रुप लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य** में, (9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि एक बार उल्लिखित दोष को सुधारा गया है और लागू अधिनियम में सुधार किया गया है, तो इसे निश्चित रूप से पिछले अधिनियम द्वारा कवर की गई अवधि को कवर करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा सकता है जो न केवल एक प्रसिद्ध है बल्कि सभी विधानमंडलों द्वारा अक्सर अपनाया जाने वाला उपाय है। इसे निम्नलिखित प्रभाव से आयोजित किया गया:-

"अंत में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने विवादित अधिनियम को दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव की वैधता पर सवाल उठाया। हम इस निवेदन में कोई सार नहीं देख पाए। यदि अधिनियम अच्छा है, तो यह भावी और पूर्वव्यापी दोनों दृष्टि से अच्छा है। पूर्ववर्ती प्रावधानों द्वारा

कवर की गई अवधि के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, जिसे **बक्सा डूअर्स टी कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यू.बी., (1989) 3 एससीसी 211** मामले में रद्द कर दिया गया था। हमारा मानना है कि बक्सा डूअर्स में बताए गए दोष को ठीक कर दिया गया है और विवादित अधिनियम में सुधार किए जाने पर, इसे निश्चित रूप से पिछले अधिनियम द्वारा कवर की गई अवधि को कवर करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा सकता है जो कि केवल एक प्रसिद्ध लेकिन सभी विधायिकाओं द्वारा अक्सर अपनाया जाने वाला उपाय है।

(10) **अमेरिकन रेमेडीज़ प्राइवेट और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य में,** (10) एक तर्क उठाया गया था कि चूंकि निर्धारिती ने उपभोक्ताओं से बिक्री कर की राशि एकत्र नहीं की है, इसलिए, दायित्व बढ़ाने वाले क़ानून को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है कर की अंतर राशि का भुगतान करना तर्कसंगत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि केवल इसलिए कि निर्धारिती ने उपभोक्ताओं से कर एकत्र नहीं किया है, किसी क़ानून के पूर्वव्यापी प्रभाव के संबंध में, कर की देनदारी से बचने का आधार नहीं है।

(11) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में, (11) माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क़ानूनों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने में विधायी शक्तियों के दायरे की जांच की है। वह था निम्नलिखित प्रभाव के लिए आयोजित किया गया:-

15. पहली बार अधिनियमों को पेश करने या अधिनियमित कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित करने की विधायी शक्ति न केवल सक्षमता के प्रश्न के अधीन है, बल्कि कई न्यायिक मान्यता प्राप्त सीमाओं के अधीन भी है, जिनमें से कुछ के साथ हम वर्तमान में हैं संबंधित। पहली आवश्यकता यह है कि इस्तेमाल किए गए शब्दों को स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी संचालन प्रदान करना चाहिए या स्पष्ट रूप

से लागू करना चाहिए। दूसरा यह है कि पूर्वव्यापी रूप से उचित होना चाहिए और अत्यधिक या कठोर नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसे असंवैधानिक करार दिए जाने का जोखिम है। तीसरा उपयुक्त है जहां न्यायिक निर्णय पर काबू पाने के लिए कानून पेश किया जाता है। यहां निर्णय के वैधानिक आधार को हटाए बिना निर्णय को पलटने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

XXX XXX XXX

20.जैसा कि **उजागर प्रिंट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया,** (1989)3 एससीसी 488 में आयोजित किया गया है:

"एक सक्षम विधायिका हमेशा उस कानून को मान्य कर सकती है जिसे अदालतों द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है, बशर्ते कि घोषणात्मक निर्णय में देखी गई कमजोरियों और दूषित उल्लंघनकर्ताओं को हटा दिया जाए या ठीक कर दिया जाए। ऐसे मान्य कानून को पूर्वव्यापी भी बनाया जा सकता है। यदि विधायी क्षमता प्रदान करने वाली विधायिका द्वारा किए गए ऐसे वैधीकरण और उपचारात्मक अभ्यास के आलोक में पहले का निर्णय अप्रासंगिक और अप्रवर्तनीय हो जाता है, तो इसे न्यायिक निर्णय का अप्रवर्तनीय विधायी अधिनिर्णय नहीं कहा जा सकता है। विधायिका जो कुछ भी करती है वह पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एक वैध कानून लाना है जिसके आलोक में पिछला निर्णय अप्रासंगिक हो जाता है।

XXX XXX XXX

22.एक बार जब परिस्थितियाँ कानून द्वारा बदल दी जाती हैं, तो यह न्यायालय के पहले के फैसले के प्रभाव को बेअसर कर सकता है जो

कानून में बदलाव के बाद अप्रभावी हो जाता है।

(12) **एस.एस. बोला और अन्य बनाम बी.डी. में सरदाना और अन्य**, (12) यह माना गया कि जो वास्तव में निषिद्ध है वह यह है कि विधायिका, संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के तहत अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए, केवल कानून की अदालत के फैसले को अमान्य या घोषित नहीं कर सकती है। निष्क्रिय होने की स्थिति में इसे न्यायिक शक्ति का प्रयोग माना जाएगा। आगे यह माना गया कि निस्संदेह संविधान की योजना के तहत विधायिका के पास यह अधिकार नहीं है।

(13) उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, विधायिका द्वारा "रियायत" शब्द को अर्थ देने का कार्य अमान्य नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, हमारी राय है कि संशोधित अधिनियम के प्रावधान, धारा 17(2)(ii) में स्पष्टीकरण-I को सम्मिलित करते हुए पूर्वव्यापी प्रभाव से "रियायत" शब्द का अर्थ देते हुए संसद की विधायी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। ऐसा संशोधन किसी न्यायिक निर्णय को अमान्य घोषित नहीं करता, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बतायी गयी कमी को पूरा करता है।

(14) यह तर्क कि संशोधन भेदभावपूर्ण है या इससे याचिकाकर्ता पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा है, फिर से कानून में टिकाऊ नहीं है। नियम 3 के आधार पर भेदभाव के संबंध में उठाए गए तर्क को **अरुण कुमार के मामले (सुप्रा) में** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया है। वास्तव में नियम 3 में निहित रियायत के निर्धारण के आधार को स्पष्टीकरण-I सम्मिलित करके मूल प्रावधान का हिस्सा बना दिया गया है। उक्त स्पष्टीकरण निर्धारिती के मामलों से अलग से संबंधित है, जहां केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के अलावा किसी अन्य नियोक्ता द्वारा असज्जित आवास प्रदान किया जाता है और केंद्र सरकार या

राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए सुसज्जित आवास के संबंध में। इसी प्रकार, जहां सुसज्जित आवास केंद्र सरकार के अलावा अन्य नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है, रियायत निर्धारित करने की प्रक्रिया को समझाया गया है।

(15) **अरुण कुमार के मामले** (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कारणों से कि नियम 3 के प्रावधान भेदभावपूर्ण नहीं हैं या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करते हैं, हमें भी इस तर्क में कोई योग्यता नहीं मिलती है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि स्पष्टीकरण-I के प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं और इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

(16) यह तर्क कि याचिकाकर्ता को संशोधन के कारण पूर्वव्यापी प्रभाव से वित्तीय बोझ को पूरा करना होगा, फिर से तर्कसंगत नहीं है। दरअसल, 25 सितंबर से नियम 3 में संशोधन के परिणामस्वरूप आवासीय आवास के लिए वेतन मद के तहत आयकर शुल्क की गणना के लिए अनुलाभ के मूल्यांकन पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा 31 दिसंबर, 2001 को एक परिपत्र जारी किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुलाभ के मूल्यांकन की गणना के तरीके से निपटने के लिए नियम 3 में संशोधन किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उक्त नियम की व्याख्या की गई और यह माना गया कि "रियायत" शब्द के किसी भी अर्थ के अभाव में नियम (3) को लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, नियम 3 की प्रयोज्यता का प्रश्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित था, जो **अरुण कुमार के मामले** (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से समाप्त हुआ। उठाया गया मुद्दा न्यायालयों द्वारा व्याख्या के अधीन था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ताओं को पूर्वव्यापी तिथि से संशोधन के परिणामों से अवगत नहीं कराया जा सकता है।

(17) इस प्रकार, हमें वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

आर.एन.आर.

(1) (2006) 286 आईटीआर 89 (एससी)
(2) (1985) 152 आईटीआर 308 (एससी)
(3) (2004) 266 आईटीआर 20 (काम)
(4) (1984) 150 आईटीआर 648 (एससी)
(5) (2004) 269 आईटीआर 97 (एससी)
(6) (1991)3 एससीसी 655
(7) एआईआर 1995 एस.सी. 1881
(8) एआईआर 1963 केर। 348
(9) 1995 सुपर. (एल)एस.सी.सी. 707
(10) (1999)2 एससीसी 117
(11) (2003) 5 एससीसी 23
(12) (1997) 8 एससीसी 522

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy